तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/11/25	वकीलवादी उप०। TDR Report प्राप्त। जवाब पेशकार सरकार हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब पेशकार सरकार दि० 21/11/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
21/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28.11.25 को पेश हो (हस्ताक्षर)
28/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12/12/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)
12/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो (हस्ताक्षर)
23/12/25	वकीलवादी उप०। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रा० वास्ते आदेश दि० 30/12/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30/12/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वाद वार्षिक आराजी में लीलाबाई के स्थान पर लीलाबाई उर्फ लाली बाई दर्ज करने के आदेश दिये गये। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा। जामा खा० म० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
290/प्रा0 पत्र/2025	09.05.2025	30.12.2025

लीला बाई उर्फ लाली पत्नी मोती (बलाई) उम्र वयस्क निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

वादीनी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :- श्री पंकज पांचाल

अधिवक्ता प्रतिवादी :- पेरोकार सरकार

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 1.7482 है0 खसरा संख्या 369 रकबा 1.1331 है0 वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमें वादीनी का 1/14 हिस्सा निहित है इसी प्रकार वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 218 रकबा 0.5342 है0 खसरा संख्या 612 रकबा 0.0486 है0 वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिस पर वादीनी का 1/18 हिस्सा निहित है जिस पर वादीनी खातेदार के रूप मे अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादीनी वाद वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है वादीनी के पति मोती की मृत्यु के उपरान्त भूमि पर फौती इंतकाल उनके वारिसान का खोला गया तत्समय मुझ वादीनी का बोलता नाम लीला बाई पत्नी मोती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ जबकि मुझ वादीनी का सभी दस्तावेजो में नाम लाली पत्नी मोती जाति बलाई अंकित है वादीनी के नामान्तकरण प्रार्थना पत्र मे लाली पत्नी मोती अंकित होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में उसका अंकन नहीं कर बोलता नाम लीला बाई पत्नी मोती राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया। वादीनी की भूमि जो चरण संख्या 1 में वर्णित है का जब फौती इंतकाल दर्ज हुआ तो उक्त भूमि पर मुझ वादीनी का बोलता नाम लीला बाई पत्नी मोती ही दर्ज किया जबकि मुझ वादीनी द्वारा तहसील तालेड़ा में इस सम्बंध में शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु नाम लीला बाई पत्नी मोती ही दर्ज हुआ जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन-फानन में वादीनी का नाम लीला बाई पत्नी मोती ही दर्ज कर दिया तथा वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीनी के हक अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से तहसीलदार तालेडा के विरूद्ध इस आशय की अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे की वादीनी लीला बाई उर्फ लाली पत्नी मोती एक ही महिला है जिसका उक्त भूमि पर हक व अधिकार है तथा लीला बाई उर्फ लाली पत्नि मोती एक ही महिला होने के कारण राजस्व रिकार्ड में लीला बाई उर्फ लाली पत्नी मोती दर्ज करने का आदेश प्राप्त करे। गलत नाम के चलते वादीनी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बाबत जब वादीनी द्वारा तहसीलदार तालेड़ा से दिनांक 05.02.2025 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की वादीनी का नाम शुद्ध किया जावे तो तहसीलदार तालेड़ा द्वारा वादीनी के साथ टालमटौल की गई एवं वादीनी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया एवं वाद वर्णित भूमि से वादीनी का हक व अधिकार मानने से ही इनकार कर दिया एवं वादीनी के नाम शुद्धिकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। गलत नाम दर्ज होने से वादीनी को उक्त भूमि कि सम्बंध में केसीसी, सरकारी/गैर सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गलत नाम दर्ज होने से वादीनी को कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वादीनी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखती है कि वादीनी की भूमि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर एवं दस्तावेजो के आधार पर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित करे कि पुनः वादीनी के खाते की भूमि जो वादपत्र की चरण संख्या 1 में वणित है। पर वादीनी का नाम लीला बाई उर्फ लाली पत्नी मोती जाति बलाई दर्ज कर अंकित करे। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 314 रकबा 1.7482 है0 खसरा संख्या

, रकबा 1.1331 है0 वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिसमें वादीनी का ... हिस्सा निहित है इसी प्रकार वादीनी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 218 रकबा 0.5342 है0 खसरा संख्या 612 रकबा 0.0486 हैक्टेयर वाके ग्राम जमीतपरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जिस पर वादीनी का 1/18 हिस्सा निहित है जिस पर वादीनी खातेदार के रूप मे अपने हिस्से पर काबिज काश्त है पर वर्तमान में वादीनी की काबिज स्थिति को देखते हुये एवं दस्तावेजो के आधार पर नाम लीला बाई उर्फ लाली पत्नी मोती जाति बलाई निवासी जमीतपुरा के नाम हक व अधिकारो की घोषणा कर राजस्व जमाबन्दी में लीला बाई उर्फ लाली पत्नी मोती जाति बलाई निवासी जमीतपुरा दर्ज कर शद्धिकरण करने हेतु तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को दिलवाये जाने की कृपा करे।

वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा नकल जमाबन्दी, खाता सं0 352, 353 वाके ग्राम जमीतपुरा संवत् 2076, प्रार्थना पत्र बाबत नाम शुद्धिकरण, आधार कार्ड की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति पेश की।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा ने जर्ये पत्रांक 2683 दिनांक 03.07.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि खातेदार लीला बाई पत्नि मोती का अंकन इनके पति मोती पुत्र काल्या जाति बलाई के फौत होने पर नामान्तकरण सं0 645 दिनांक 07.01.2007 व नामान्तकरण सं0 646 दिनांक 07.01.2007 द्वारा क्रमशः खाता सं0 216, 217 में दर्ज हुआ है। लीला बाई पत्नि मोती व वाद में अंकित लाली बाई पत्नि मोती जाति बलाई एक ही महिला होना अंकित किया। वादिनी का वास्तविक नाम लाली बाई होना बताया गया।

जवाब पेरोकार सरकार प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट एवं साक्ष्य दस्तावेजो अनुसार नाम शुद्ध करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना अंकित किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने दोराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादिनी का नाम लीला बाई के स्थान पर लाली बाई करने का निवेदन किया।

पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट तहसीलदार एवं दस्तावेज के आधार पर नाम संशोधन में अनापत्ति जाहिर की । बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर वादिनी का नाम लाली बाई होना प्रमाणित होने से राजस्व रेकार्ड में लीला बाई के स्थान पर लाली बाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता सं0 नया 352 पुराना 316 वाके ग्राम जमीतपुरा व खाता सं0 नया 353 पुराना 317 वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में लीला बाई पत्नि मोती के स्थान पर लीला बाई उर्फ लाली पत्नि मोती दर्ज किया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा